तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.01.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 22 नियम 4 पर प्रस्तुत हुयी। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 7 ओमवती का निधन दिनांक 09.07.2020 को, अपीलाण्ट संख्या 09 रामवीर का निधन दिनांक 19.06.2014 को, अपीलाण्ट संख्या 10 पूरन का निधन दिनांक 10.05.2010 को हो गया है एवं इसी प्रकार रैस्पो0 संख्या 19 राजू रैस्पो0 संख्या 27 टीटू एवं रैस्पो0 संख्या 34 की मृत्यु भी हो चुकी है। पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। अतः उन्हें कानून की जानकारी नहीं है कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसो को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही करनी होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, मृतक अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरएलआर 1988(1) पेज 763, आरआरटी 2024(2) पेज 785, 2024(1) पेज 82 का उद्धरण प्रस्तुत किया। वकील रैस्पो0 का कथन है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 07 की कायम मुकाम कार्यवाही अपीलाण्ट ने दो साल बाद एवं अपीलाण्ट संख्या 09 व 10 अपील करने से ही पूर्व फौत हो चुके हैं। रैस्पो0 संख्या 19, 27, 34 की मृत्यु की दिनांक अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं की गयी है। जबकि उनकी मृत्यु भी कई सालो पूर्व हो चुकी है। इस प्रकार अपीलाण्ट प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करने के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये, अपील अपीलाण्ट जरिये अवैट में खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं अपीलाण्ट संख्या 07 की मृत्यु दिनांक 09.07.2020 को होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिनांक 17.10.2022 को लगभग 02 वर्ष 3 माह बाद प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट संख्या 09 की मृत्यु दिनांक 19.06.2014 को एवं अपीलाण्ट संख्या 10 पूरन की मृत्यु दिनांक 10.05.2010 को होना अंकित करते हैं। जबकि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 08.04.2015 को प्रस्तुत की गयी है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट संख्या 09 व 10 न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हो चुके थे। इस प्रकार अपील स्पष्ट तौर पर मृतक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं अपीलाण्ट संख्या 07 की कायम मुकाम कार्यवाही सुदीर्घ विलम्ब के साथ की गयी है। हॉ हम	

अपीलाण्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि रैस्पो0 संख्या 19, 27, 34 की मृत्यु की सूचना रैस्पो0 अभिभाषक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने की दिनांक से अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 19., 27. 34 के कायम मुकाम की कार्यवाही अन्दर मियाद की गयी है। परन्तु अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं। अपील स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। चूंकि अपीलाण्ट संख्या 09 व 10 की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व होना, अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित मृत्यु दिनांक से प्रमाणित है। अतः अपील अपीलाण्ट मृतक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करने के कारण स्वतः ही अवैट हो जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये अवैट में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर